



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Raisen (MP)
Behind New Bus Stand, Raisen (M.P.) - 464 551
Tel. No: 07482 - 292022 (O)
ईमेल/Email: kvraisen@yahoo.in, ppl.raisen@kvs.gov.in
वेबसाइट/Web: raisen.kvs.ac.in
CBSE School No : 54151 Affiliation No: 1000090

F.14053/KVRSN/2024-25/

दिनांक 10.04.2025

प्रवेश सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रायसेन में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में कुल स्थान रिक्त है। इस हेतु दिनांक 11.04.25 से 20.04.25 तक केवल सर्विस कटेगरी 1 एवं 2 (केवल केन्द्रीय सरकार या केंद्र सरकार के निकायों में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के) बच्चों से कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण किये जा सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म लिंक <https://qr-codes.io/246T1Y> से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवश्यक प्रमाणपत्र आवेदन की तिथि को पूर्ण रूप से संलग्न किया जाने चाहिए। पूर्ण आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। प्रवेश पूर्णतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश मार्ग दर्शिका 2025-26 के अनुसार ही किया जाएगा।
नोट: विस्तृत जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट raisen.kvs.ac.in का अवलोकन अवश्य करें।



पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करने लिए बार कोड

प्रतिलिपि:

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड
2. विद्यालय वेबसाइट
3. माननीय कलेक्टर महोदय रायसेन को सादर सूचनार्थ।
4. माननीय एस डी एम् महोदय रायसेन को सादर सूचनार्थ।

प्राचार्य

9. कक्षा 10वीं तथा 12वीं में नए प्रवेश :

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नए प्रवेश प्रदान करने के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में ऐसे प्रवेश के मामलों पर संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केवल तब ही विचार किया जाएगा जब इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या 40 से कम हो। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्न शर्तें भी लागू होंगी:

- (i) बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय से उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- (ii) कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 09वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
- (iii) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य है।
- (iv) विद्यार्थी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार हर प्रकार से पात्र होना चाहिए।
- (v) विद्यार्थी द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध हो।
- (vi) यह नए प्रवेश केवल सिविल/रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I और II के लिए एवं परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से III के लिए ही होंगे।